

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहार और अन्वयनों को छोड़, उक्त आपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अन्वयन का पता नहीं पता है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और समाप्त-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) - *[Signature]*

(पदनाम) - *[Signature]*


तलाशी का साक्ष्य और प्रमाण पत्र की तीन प्रतियाँ की

(हस्ताक्षर) - *[Signature]*

(पदनाम) - *[Signature]*

प्रशासक *Joint Sub Registrar*
Chandigarh

तारीख *21/1/21*



विभाग प्रशासक की हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अन्वयन दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा प्राप्त प्राप्त विवरण के अनुसार किये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी इन्हीं सम्पत्तियों को निरचित दरतावेजों में दिखाना-गना-हो-तो वे भी-दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (इन्व्हेन्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2) निरन्तर अधिनियम की धारा 110 के अधीन जो व्यक्ति सहित और अनुक्रमणियों (इन्व्हेन्शन) की प्रविष्टिओं देखना चाहते हैं, उनका जो अनुरोध प्रतिनिधि सेवा कार्यालय को आया बिना विनिश्चित संवित्तों के अन्वयनों के प्रमाणपत्रों की जरूरत को उन्हें सहायता नहीं देना होगा। शिक्षित शीत पर गुणवान करने पर सहित और अनुक्रमणियों उनके तलाशी रख दी जायेगी।

किसी व्यक्ति के संव्यवहार में अपेक्षा की रूप में तलाशी नहीं की है, इसलिए प्रशासक ने अपेक्षित तलाशी अपने गारंटी-साक्ष्यों से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिखे गये तलाशी विभाग की तलाशी सूत्र के लिए किसी भी तरह विवेकात्मक नहीं होगा।

और यदि गारंटी प्राप्त होने पर अपेक्षा में अपेक्षित तलाशी रूप में है और यदि उक्त द्वारा किये गये संव्यवहार और अन्वयनों को साक्ष्य के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक को न किये गये, ऐसे संव्यवहारों और अन्वयनों की मुद्रा के लिए किसी भी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संव्यवहार प्रमाण पत्र का है।

*Search made by Me
Chanchal Dutt*

जापोक नं- 1290

Date 20/5/24

अनुसूची 23-प्रथम संख्या 112।

सम्पत्ति अंशभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं० 1069/24 आवेदन सं० 1069/24
 स्थिति की संख्या में विद्यमान सम्पत्तियों का और अंशभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र रिफ-आप।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण 2)

इतिहास में इनके द्वारा प्रमाणित किया है कि प्रस्ता सम्पत्ति को प्रमाणित करने वाले सम्पत्तियों और अंशभारों के बारे में नहीं है और प्रस्ता सम्पत्ति अनुक्रमणिका में नहीं है।
 प्रस्ता के बाद विद्यमान सम्पत्तियों और अंशभारों का पता पता है।

क्रम सं०	क) स्थिति का विवरण	ख) दस्तावेज की संख्या	ग) दस्तावेज प्रस्ता की मूल्य	प्रती के भाग		दस्तावेज की श्रेणियों के प्रति संख्या		
				विभाजन	रकबा	श्रेणी II	श्रेणी I	श्रेणी III
	Plot no - 08, Sasaudhela,							
	New Plot no - 1091, 766,							
	New Plot no - 1734, 1733, 1732,							
	Mills							

क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें। **Chomchal Gutta**
 ख) प्रमाण-पत्र की दस्ता में ध्यान की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्त, कि इनके बारे में उल्लेख हो।
 ग) पट्टा की दस्ता में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।